सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 88/15 **निर्णय दिनांकः–25.06.2018**

1. गोविन्द सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी लिचाना तहसील नावा जिला नागौर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. रामनारायण पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी चक 5 डीएल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 09–12–2005
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवला के आदेश दिनांक 09–12–2005 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन तहसील छत्तरगढ़ के चक 5 डी.एल. के मुरब्बा नम्बर 170/1 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 02—02—1984 को किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट ने आवंटित भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया तथा मौके पर अपीलांट ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा अपीलांट परिवार सहित मौके पर आबाद है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि में से किला नम्बर 16 ता 25 की 9.10 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 30—06—2001 को स्माल पेच में आवंटित कर दी गई। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15—01—2003 को रिमाण्ड किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट के आवंटन को बहाल रखा गया है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से उक्त आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिनाकिसी प्रकार का नोटिस दिये आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी करने की तमाम कार्यवाही गलत व अवैद्य तरीके से की गई है।

अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत है। तहसील पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी अपीलांट्स की भूमि होना अंकित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 30—06—2001 को सीधे ही एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच में आवंटन कर दी गई। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का स्माल पेच आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट के नाम शेष भूमि का अंकन रिकार्ड में किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 5 डी.एल. के मुरब्बा नम्बर 170/1 के किला नम्बर 16 ता 25 में 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों को नोटिस जारी किया गया। लेकिन बाद नोटिस अन्य काश्तकार के उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रथम वरीयता के आधार पर आवंटित की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवंटन के पश्चात् न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की

गई। उक्त अपील में कथन किया गया कि वादगत् भूमि अपीलांट को दिनांक 02—02—1984 को आवंटित भूमि है। अपीलांट का यह कथन सरासर गलत कथन है क्योंकि वास्तव में वादगत् भूमि चक 5 डी.एल. के मुरब्बा नम्बर 170/1 के किला नम्बर 1 ता 15 की 15 बीघा भूमि रामलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट को पुख्ता आवंटन है। जिससे साबित है कि वास्तव में वादगत् भूमि का अपीलांट को कभी आवंटन ही नहीं किया गया था। यदि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को कभी किया भी गया होता वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करते तथा वादगत् भूमि के बाबत् आंवटन, आदेश, गिरदावरी व जमाबन्दी आदि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि के बाबत् तहसीलदार छत्तरगढ़ की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है। वादगत् भूमि के स्माल पेच आवंटन के पश्चात् से ही रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। प्रकरण में अपीलांट का कथन कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। अपीलांट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है।

ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि का किया गया स्मालपेच आवंटन आवंटन नियमों के अनुरूप आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—12—2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 28—09—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 5 डी.एल. के मुरब्बा नम्बर 170/1 के किला नम्बर 16 ता 25 में कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि का स्मालपेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि चक 5 डी. एल. के मुरब्बा नम्बर 170/1 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि अपीलांट को दिनांक 02—02—1984 को पुख्ता आवंटन की गई थी तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। वादगत् भूमि के आवंटन के समय से ही उसके कब्जे काश्त में चही आ रही है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन की दिनांक को आक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी की थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी।

(4) इस संबंध में अपीलांट द्वारा पुख्ता आवंटन दिनांक 02—02—1984 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके अवलोकन से यह तथ्य विशुद्व रूप से सामने आता है कि वादगत् भूमि वर्ष 1984 में ही अपीलांट को पुख्ता आवंटित हो चुकी थी। उक्त वादगत् भूमि का आवंटन जो अपीलांट को किया गया था में से 15 बीघा भूमि की

खातेदारी अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है। अपीलांट के शेष आवंटन के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज का कार्य संबंधित राजस्व कर्मचारियों का था। जिनके द्वारा तत्समय अपीलांट के पुख्ता आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं किये जाने से वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रही।

(5) रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि वादगत् भूमि की उसे खातेदारी प्राप्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त खातेदारी को निरस्त कराने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि रेस्पोडेन्ट को अदालत मातहत द्वारा ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जो पूर्व में ही अपीलांट को पुख्ता आवंटित थी। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का स्मालपेच आवंटन पश्चात्वर्ती आंवटन की श्रेणी का है। अदालत मातहत को वादगत् भूमि के आंवटन से पूर्व मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। जैसा कि अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(6) प्रकरण में वादगत् भूमि के बाबत् जहॉ एक तरफ अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पुख्ता आवंटन किया गया तथा दूसरी तरफ उक्त भूमि को ही स्मालपेच में रेस्पोडेन्ट को आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट के आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि वादगत् भूमि अन्य किसी को आवंटित है अथवा नहीं? अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट को पुख्ता आवंटित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होना साबित होता है।

(7) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश नहीं होने से काबिल खारिज है।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—12—2005 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाल निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि वे अपीलांट के नाम शेष रही भूमि का रिकार्ड में अंकन करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर